न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण सं.:—307 / 2023
वादपत्र अर्न्तगत धारा:— 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

छोटूराम पुत्र सुरजीदेवी पत्नी स्व. साधुराम जाति मेघवंशी निवासी नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब.)।

—वादी

बनाम

1. सुरजीदेवी पुत्री लिछमनराम पत्नी स्व. साधूराम जाति मेघवंशी निवासी ढ़ाबा हाल निवास नारायणपुरा तहसील सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब.)। 2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—
1. श्री भीमसिंह छिम्पा एड. — वादी
2. श्री संजीव बिश्नोई एड.— प्रति.सं. 1

दिनांक— 5.9.2024

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कि चक 5 बी.जी.पी. जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2070 से 2073 खाता सं. 38 / 19 के कुल सांझा खाता 3.542 है. में से 5825 / 37191 है. हिस्सा व इसी चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 52 / 63 के कुल सांझा खाता 1.0123 है. में से 485 / 1012 है. हिस्सा नहरी कृषि भूमि वादी की माता प्रतिवादी सं. 01 सुरजीदेवी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित पैतृक कृर्षि भूमि को लेकर वादी का प्रतिवादीया सं. 1 के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विरचित प्रावधानो के तहत रास्ता खाला व अच्छी मन्दी भूमि को लेकर ब्राहमी घरा घरू बंटवारानामा हो चुका है। घरा घरू बंटवारानामा में वादी छोटूराम के हिस्सा में चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 38 / 19 में दर्ज 5825 / 37191 है. हिस्सा प्रमाणित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। व इसी चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 52 / 63 में दर्ज 485 / 1012 है. हिस्सा भूमि आयी है। तथा प्रतिवादीया सं. 1 सुरजीदेवी ने अपने हक व हिस्सा में गांव ढ़ाबा का पैतृक मकान व बैंक नगदी अपने हक व हिस्सा में रख ली है। घरा घरू बंटवारानामा के रोज से वादी की घरू बंटवारा में मिली भूमि पर शान्ती पूर्वक कब्जा काश्त है। कब्जा काश्त को लेकर आज वादी व प्रतिवादीया के बीच कोई विवाद नही है। घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का वादी कब्जा काश्त मुताबिक खातेदार काश्तकार कहलाने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि घरा घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज न [illegible] के कारण बिना वजह सिंव बट रकमराज आबयाना इत्यादि को लेकर विवा[illegible] घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि का विरास्तन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी एं[illegible] दावेदार है। कि गत सप्ताह वादी ने प्रतिवादीया से निवेदन किया कि वो वा[illegible] अनुसार मुझ वादी को वादभूमि का खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा देवें। तो वो पहले तो आजकल आजकल करती रही परन्तु कल ऐसा करने से स्पष्ट ईन्कार हो गयी। बस यही वादकारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.07.2023 को

—2—

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.10 14:43:11
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव बिश्नोई ने वकालतनामा मय इकबाल दावा दावा पेश किया व जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादी छोटूराम ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी व विरास्तन राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 2 है। तथा ओर साक्ष्य पेश नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द की जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादी का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी वादी के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नही किया।

हमारे द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादी की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रर्दश 1 से 2 तथा दस्तावेजी साक्ष्य तथा ब्यान गवाहान छोटूराम की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता है। वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का ईकबाल दावा प्रतिवादी सं. 1 ने पेश किया है। वादी की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी छोटूराम को वादग्रस्त आराजी प्राप्त होना साबित है। वादपत्र को कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने तथा विरास्तन आराजी साबित होने से वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 5 बी. जी.पी. के खाता सं. 38/19 व 52/63 में प्रतिवादीया सं. 1 सुरजीदेवी पुत्री लिछमनराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी छोटूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा प्रतिवादीया सं. 1 का उपरोक्त खातो से नाम कलमजन कर हिस्सा वादी छोटूराम के नाम दर्ज किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 5.9.24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सेंगरिया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सेंगरिया

Signature Not Verifi

Digitally signed by Rake
Meena
Date: 2024.09.10 14:43:
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास – राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

छोटूराम पुत्र सुरजीदेवी पत्नी स्व. साधुराम जाति मेघवंशी निवासी नारायणपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब.)।

–वादी

बनाम

1. सुरजीदेवी पुत्री लिछमनराम पत्नी स्व. साधूराम जाति मेघवंशी निवासी ढ़ाबा हाल निवास नारायणपुरा तहसील सीतो गुनो जिला फाजिल्का (पंजाब.)। 2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक

मुकदमा संख्या 307/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिम्पा एड. मिन जामिन मुदई श्री संजीव बिश्नोई एड.मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :– अतः वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 38/19 व 52/63 में प्रतिवादीया सं. 1 सुरजीदेवी पुत्री लिछमनराम के नाम दर्ज कृर्षि भूमि का वादी छोटूराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खातो से प्रतिवादीया सं. 1 सुरजीदेवी पुत्री लिछमनराम का नाम कलमजन कर हिस्सा वादी छोटूराम के नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोटः– संबधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार रकम राज कायम कर अमल दरामद किया जावें।

निज....✗....मुब्लिक ....✗.... बाबत ....✗ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ....✗.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.9.24 को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Meena

Date: 2024.09.10 14:43:

Reason: SelfAttested